

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद
(डॉ० भंवर लाल, आई०ए०एस०, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
प्रार्थनापत्र 3 जी (5) संख्या 18/2019

दायर दिनांक : 03.06.2019

आदेश दिनांक : 07.03.2024

:: अनवान ::

1. श्री मदनसिंह पुत्र श्री हरिसिंहजी, निवासी गांव नेगड़िया खेड़ा, तहसील गंगापुर, जिला भीलवाड़ा।
2. श्री उदय राम पुत्र चेन्नाराम खारोल
3. मुकेश पुत्र नानालाल जाट
4. गणेश पुत्र आखेराम राव
प्रार्थीगण संख्या 2 से 4 निवासीगण-गांव खण्डेल, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द।

- प्रार्थीगण

:: बनाम ::

1. भारत संघ जरिए, सचिव सड़क एवं परिवहन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली।
2. प्राधिकृत अधिकारी (भू-अवाप्ति) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द (राज.)
3. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई भीलवाड़ा, 6-ए-1, आर.सी. व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा-(राज.)

- विपक्षीगण

आवेदन अंतर्गत धारा 3जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 एवं संशोधन अधिनियम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) अधिनियम 1997 सपठित धारा 21 माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996

उपस्थित :-

अधिवक्ता प्रार्थी
विपक्षी संख्या 01
अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 2
अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 3

श्री दिग्विजय सिंह चुण्डावत,
अनुपस्थित।
श्री गिरीश तिवारी,
श्री प्रवीण मण्डोवरा,

प्रकरण से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण-ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 के किमी. 00.000 किमी. से 30.000 किमी. (राजसमन्द भीलवाड़ा)



के निर्माण चौड़ा करने/पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाने बाईपास और चार लेन का बनाने आदि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए भू-अवाप्ति हेतु दिनांक 28.12.12 को अधिसूचना का भारत के राजपत्र में प्रकाशन किया गया व जिसके तहत अप्रार्थीगण के यहां भू-अवाप्ति की कार्यवाही संधारित कर भू-अवाप्ति की कार्यवाही की गई व आपत्तिया आमंत्रित की गई जिसमें प्रार्थी के स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 1889/265 आबादी कृषि भूमि मौजा खण्डेल में से 0.0841 भूमि को अवाप्त करने हेतु विज्ञप्ति जारी की गई व प्रार्थीगण के नाम से धारा 3(जी) के अंतर्गत अप्रार्थीगण द्वारा 18,80,165/- रूपये अवार्ड का निर्धारण करते हुए दिनांक 16.08.2016 को आदेश पारित किया गया तत्पश्चात् जिसे प्रार्थीगण स्वीकार नहीं करते हैं तथा तथाकथित अवार्ड राशि के संबंध में की गई सम्पूर्ण कार्यवाही जो कि मुआवजा निर्धारण के मूलभूत व स्वीकृत सिद्धांतों की अनदेखी करते हुए अवाप्ति में ग्रसित भूमि के लेण्ड वेल्यू व मुआवजा के निर्धारण बाबत भूमि के संबंध में मुआवजा के सही निर्धारण न किये जाने के कारण हस्तगत अवाप्ति की कार्यवाही के पुनः निर्धारण एवं हक अधिकारों के निरस्ताकरण के लिए अप्रार्थी संख्या 2 के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसमें किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई, एवं उसी दौरान नया भू-अवाप्ति कानून 2013 लागू हो गया उस बाबत भी अप्रार्थी संख्या 2 के समक्ष अभ्यावेदन पेश किया गया। परन्तु उस पर भी किसी प्रकार की ठोस कार्यवाही नहीं की गयी। इससे व्यथित होकर प्रार्थीगण ने एक याचिका बाबत संशोधित मुआवजा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करते हुए एवं उनकी उपस्थिति में याचिका यह कहते हुए निस्तारित की गयी कि प्रार्थीगण को संशोधित मुआवजा राशि नवीन अधिनियम 2013 के अनुसार भुगतान किया जावे तथा इसी क्रम में प्रार्थीगण ने उक्त आदेश की प्रति अप्रार्थीगण के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया एवं संशोधित अवार्ड दिनांक 13.10.2017 को जारी किया गया जो राशि रूपये 32,45,080/- को होकर प्रार्थीगण के खाते में भुगतान किया गया लेकिन उक्त संशोधित अवार्ड में अनेक त्रुटियां हैं जैसे कि ब्याज राशि, डीएलसी रेट, मार्केट रेट, समीपवर्ती भूमियां, का मुआवजा प्रार्थीगण की भूमि से अधिक भुगतान किया गया इन सब तथ्यों का संशोधित अवार्ड पारित करते समय ध्यान में नहीं रखा गया इससे व्यथित होकर प्रार्थीगण यह प्रार्थना पेश किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द से अवार्ड पत्रावली तलब की गई तथा विपक्षी संख्या 01 अनुपस्थित।

विपक्षी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवेगत कराया कि विपक्षी द्वारा प्रार्थीगण की अवाप्त भूमि के सम्पूर्ण अवार्ड नियमानुसार Rfctlarr Act.



2013 के तहत चैक संख्या 000045-46 एवं 54 दिनांक 13.06.18 व 12.11.18 द्वारा राशि 32,45,080/- रूपये का निर्धारित डीएलसी दर से भुगतान किया जा चुका है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निराधार होने से सब्यय निरस्त फरमावें।

विपक्षी संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया कि विपक्षी द्वारा प्रार्थीगण को नियमानुसार अधिसूचनायें जारी करने के उपरान्त अधिनियम 1956 के अनुसार मुआवजा राशि का निर्धारण कर अवार्ड पारित किया गया, जो कि सही एवं उचित है। अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि का निर्धारण अधिनियम 1956 की धारा 3 जी(7)(ए) की अनुपालना में धारा 3ए की अधिसूचना को जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित प्रचलित दर को ध्यान में रखते हुये किया जाता है। अवार्ड में वर्णितानुसार हस्तगत प्रकरण में धारा 3ए की अधिसूचना के समय आबादी भूमि की दर 3432/- प्रति वर्गमीटर प्रचलित/निर्धारित थी, के अनुसार मुआवजे का निर्धारण कर अवार्ड पारित किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी अवाप्त भूमि की दर की तुलना अन्य जिले में से अवाप्त हितधारियों की भूमि की दर से करना कर्तई उचित नहीं है। अतः प्रार्थीगण ने जो प्रार्थना की है वह सरासर असत्य एवं आधारहीन होने एवं कानूनन पोषणीय नहीं होने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

विपक्षी संख्या 3 द्वारा काउंटर क्लेम करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण को अधिसूचना जारी करने के उपरांत नियमानुसार आगामी कार्यवाही करते हुए दिनांक 25.07.2014 को अवाप्त भूमि का मुआवजा निर्धारित/अवार्ड पारित कर दिया गया, जो कि नियमानुसार सही एवं उचित तथा अंतिम हो चुका था, लेकिन फिर भी सक्षम प्राधिकारी ने अपने विधिक क्षेत्राधिकार से परे जाकर उक्त मुआवजे/अवार्ड को रिव्यू कर अधिनियम 2013 की प्रथम अनुसूची के प्रावधान लागू नहीं होने के बावजूद भी उनके अनुसार अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि निर्धारित कर दिनांक 13.10.2017 को संशोधित आदेश/अवार्ड पारित कर दिया गया, जो अनुचित एवं अवैध है, क्योंकि हस्तगत प्रकरण पर अधिनियम 2013 के प्रावधान दिनांक 01.01.2015 से लागू होने से पूर्व में पारित अवार्ड के हितबद्ध व्यक्तियों को मुआवजा अधिनियम 2013 देय नहीं होता है। उक्त अवाप्त भूमि का मुआवजा/अवार्ड दिनांक 25.07.2014 को ही पारित कर दिये जाने से अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा राशि का निर्धारण नहीं किया जा सकता था। अतः अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थीगण से भुगतान राशि वसूल कर जवाबदाता को पुनः दिलवायी जावें।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं अवार्ड पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 1889/265



आबादी कृषि भूमि मौजा खण्डेल में से 0.0841 भूमि को अवाप्त करने हेतु विज्ञप्ति जारी की गई व प्रार्थीगण के नाम से धारा 3(जी) के अंतर्गत अप्रार्थीगण को 18,80,165/- रूपये अवार्ड का निर्धारण करते हुए दिनांक 16.08.2016 को आदेश पारित किया गया। जिसे प्रार्थीगण द्वारा स्वीकार नहीं किया तथा तथाकथित अवार्ड राशि के संबंध में की गई सम्पूर्ण कार्यवाही जो कि मुआवजा निर्धारण के मूलभूत व स्वीकृत सिद्धांतों की अनदेखी करते हुए अवाप्ति में ग्रसित भूमि के लेण्ड वेल्यू व मुआवजा के निर्धारण बाबत भूमि के संबंध में मुआवजा के सही निर्धारण न किये जाने के कारण हस्तगत अवाप्ति की कार्यवाही के पुनः निर्धारण एवं हक अधिकारों के निरस्ताकरण के लिए अप्रार्थी संख्या 2 के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसमें किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई, एवं उसी दौरान नया भू-अवाप्ति कानून 2013 लागू हो गया उस बाबत भी अप्रार्थी संख्या 2 के समक्ष अभ्यावेदन पेश किया गया। परन्तु उस पर भी किसी प्रकार की ठोसी कार्यवाही नहीं की गयी। इससे व्यथित होकर प्रार्थीगण ने एक याचिका बाबत संशोधित मुआवजा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करते हुए एवं उनकी उपस्थिति में याचिका संख्या 10629/2017 को दिनांक 11.09.2017 को यह कहते हुए निस्तारित की गयी कि प्रार्थीगण को संशोधित मुआवजा राशि नवीन अधिनियम 2013 के अनुसार भुगतान किया जावे तथा इसी क्रम में प्रार्थीगण ने उक्त आदेश की प्रति अप्रार्थीगण के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया एवं संशोधित अवार्ड दिनांक 13.10.2017 को जारी किया गया जो राशि रूपये 32,45,080/- को होकर प्रार्थीगण के खाते में भुगतान किया गया लेकिन उक्त संशोधित अवार्ड में अनेक त्रुटियां थी जैसे कि ब्याज राशि, डीएलसी रेट, मार्केट रेट, समीपवर्ती भूमियां, का मुआवजा प्रार्थीगण की भूमि से अधिक भुगतान किया गया इन सब तथ्यों का संशोधित अवार्ड पारित करते समय ध्यान में नहीं रखा गया। इससे व्यथित होकर प्रार्थीगण यह प्रार्थना पेश किया है। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 02 ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण की अवाप्त भूमि के सम्पूर्ण अवार्ड नियमानुसार Rfctlar Act. 2013 के तहत चैक संख्या 000045-46 एवं 54 दिनांक 13.06.18 व 12.11.18 द्वारा राशि 32,45,080/- रूपये का निर्धारित डीएलसी दर से भुगतान किया जा चुका है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निराधार होने से सब्यय निरस्त फरमावे। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 03 ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण को नियमानुसार अधिसूचनायें जारी करने के उपरान्त अधिनियम 1956 के अनुसार मुआवजा राशि का निर्धारण कर अवार्ड पारित किया गया, जो कि सही एवं उचित है। अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि का निर्धारण अधिनियम 1956 की धारा 3 जी(7)(ए) की अनुपालना में धारा 3ए की अधिसूचना को जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित प्रचलित दर को ध्यान में रखते हुये किया जाता है। अवार्ड में वर्णितानुसार हस्तगत प्रकरण में धारा 3ए की अधिसूचना के



समय आबादी भूमि की दर 3432/- प्रति वर्गमीटर प्रचलित/निर्धारित थी, के अनुसार मुआवजे का निर्धारण कर अवार्ड पारित किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी अवाप्त भूमि की दर की तुलना अन्य जिले में से अवाप्त हितधारियों की भूमि की दर से करना कर्तई उचित नहीं है। अतः प्रार्थीगण ने जो प्रार्थना की है वह सरासर असत्य एवं आधारहीन होने एवं कानूनन पोषणीय नहीं होने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही निवेदन किया कि प्रार्थीगण को अधिसूचना जारी करने के उपरांत नियमानुसार आगामी कार्यवाही करते हुए दिनांक 25.07.2014 को अवाप्त भूमि का मुआवजा निर्धारित/अवार्ड पारित कर दिया गया, जो कि नियमानुसार सही एवं उचित तथा अंतिम हो चुका था, लेकिन फिर भी सक्षम प्राधिकारी ने अपने विधिक क्षेत्राधिकार से परे जाकर उक्त मुआवजे/अवार्ड को रिव्यू कर अधिनियम 2013 की प्रथम अनुसूची के प्रावधान लागू नहीं होने के बावजूद भी उनके अनुसार अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि निर्धारित कर दिनांक 13.10.2017 को संशोधित आदेश/अवार्ड पारित कर दिया गया, जो अनुचित एवं अवैध है, क्योंकि हस्तगत प्रकरण पर अधिनियम 2013 के प्रावधान दिनांक 01.01.2015 से लागू होने से पूर्व में पारित अवार्ड के हितबद्ध व्यक्तियों को मुआवजा अधिनियम 2013 देय नहीं होता है। उक्त अवाप्त भूमि का मुआवजा/अवार्ड दिनांक 25.07.2014 को ही पारित कर दिये जाने से अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा राशि का निर्धारण नहीं किया जा सकता था। अतः अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थीगण से भुगतान राशि वसूल कर जवाबदाता को पुनः दिलवायी जावे।

हमने उभय पक्षकारान की बहस पर गहन मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का भी अवलोकन किया तथा अवार्ड पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 1889/265 आबादी कृषि भूमि मौजा खण्डेल में से 0.0841 भूमि को अवाप्त किया गया। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.09.2017 S.B. CIVIL WRIT याचिका संख्या 10629/2017 मदनसिंह बनाम भारत संघ में पारित निर्देश की अनुपालना में Rfctlarr Act. 2013 के अनुसार संशोधित मुआवजा राशि दिनांक 13.10.2017 को तय अनुसूची के अनुसार जारी कर भुगतान किया गया। इस प्रकार उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में दिनांक 13.10.2017 को संशोधित अवार्ड जारी करना पाया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में पूर्व में निर्धारित अवार्ड राशि Rfctlarr Act. 2013 की प्रथम अनुसूची के अनुसार निर्धारित कारक से बाजार मूल्य से गुणित कर मुआवजा भुगतान किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी पाया जाना प्रार्थी द्वारा प्रमाणित नहीं कराया गया है। प्रार्थी की उक्त याचिका आधारहीन होने से खारिज की जाती है।



जहाँ तक विपक्षी संख्या 03 द्वारा काउन्टर क्लेम के जरिये उक्त संशोधित अवार्ड को अवैध बताते हुए प्रार्थीगण को भुगतान की गई राशि पुनः दिलवाये जाने का निवेदन किया गया है तथा उक्त राशि के संबंध में संशोधित अवार्ड को निरस्त करने की प्रार्थना की है। प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 11.09.2017 विपक्षीगण की उपस्थिति में पारित किया गया है। उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11.09.2017 को पक्षकारान द्वारा प्रश्न चिन्ह नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में काउन्टर क्लेम माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.09.2017 S.B. CIVIL WRIT याचिका संख्या 10629/2017 मदनसिंह बनाम भारत संघ के अनुसरण में जारी संशोधित अवार्ड को अपास्त करना उच्च न्यायालय का आदेश प्रभावी होने से न्यायोचित नहीं है। इसलिए विपक्षी संख्या 03 का काउन्टर क्लेम अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3(जी) 5 एवं विपक्षी संख्या 03 का काउन्टर क्लेम अस्वीकार कर खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3(जी) 5 एवं विपक्षी संख्या 03 का काउन्टर क्लेम अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

Bulla
(डॉ० भंवर लाल)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमन्द

आदेश आज दिनांक 07.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।



Bulla
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमन्द